

GOVERNOR'S SECRÉTARIAT, BIHAR RAJ BHAVAN, PATNA-800022

Notification

Dated-10-08-2020

No.BSU(Statute)-25/2014-/GS(I)- the Hon'ble Chancellor, after due consideration of the Draft Statute for the appointment as Assistant Professor in the Universities of Bihar 2020 prepared by the Statute Committee consisting of three Vice Chancellors viz: Vice Chancellor, Magadh University, Bodh Gaya, Chancellor, Munger University, Munger and Vice Chancellor, Purnea University, Purnea, constituted vide Governor's Secretariat, Notification No.BSU(Statutes)dated 03-02-2020, the opinion of the Vice Chancellors of 25/2014-261/GS(I), concerned Universities, the opinion of the State Government on the Draft Statute submitted vide Education Department, Government of Bihar letter no. 15/12 2-02/2016-826 dated 13-05-2020 and letter no. 15/y 2-02/2016-1238 dated 23-07-2020 and in exercise of the powers vested in him under section 36(7) of the Bihar State Universities Act, 1976 and the Patna University Act, 1976 (as amended up-to-date) has been pleased to approve the enclosed Statute (in English & Hindi) for appointment as Assistant Professor in the Universities of Bihar 2020.

By the order of the Hon'ble Chancellor

: 'Sd/-

(Chaitanya Prasad)

Principal Secretary to Governor

Memo No. - BSU(Statute)-25/2014 - 1472 /GS(I), Dated-10-08-2020 Copy forwarded to:-

- 1. All the Vice Chancellors, Universities of Bihar- for information.
- 2. The Principal Secretary, Education Department, Govt. of Bihar, Patna -for information.
- 3. All Pro-Vice Chancellors, Universities of Bihar- for information
- 4. All the Registrars, Universities of Bihar for information.
- 5. The Chairman, University Grant Commission, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 for information.
- 6. PSG/PRO/Guard file- for information and necessary action.
- 7. Copy alongwith copy of Statutes for the appointment as Assistant Professor in the Universities of Bihar 2020 approved by the Hon'ble Chancellor forwarded to Technical Director, NIC-cum-In-Charge, Computer Cell for uploading the same on the website of Raj Bhavan.



STATUTES FOR THE APPOINTMENT AS ASSISTANT PROFESSOR IN THE UNIVERSITIES OF BIHAR - 2020

Chapter-1

- 1.0 Short title, extent and commencement- These Statutes may be called "Statutes for appointment of Assistant Professor for the Universities of Bihar 2020".
- 1.1 It shall apply to the Universities governed by Bihar State Universities Act. 1976 and Patna University Act, 1976
- 1.2 It shall come into force with effect from the date of issue of the notification.

Chapter-2

- 2.0 <u>Definitions</u>- In these statutes, unless there is anything repugnant in the subject or context,
- 2.1 "Statutes" means "Statutes for appointment of Assistant Professors for the Universities of Bihar 2020".
- 2.2 "State Government" means" The Government of Bihar".
- 2.3 "University" means as defined under the Bihar State Universities Act, 1976 and Patna University Act, 1976
- 2.4 "Teacher" means "Assistant Professor"
- 2.5 "Commission" means Bihar State University Service Commission.
- 2.6 "Chairman" means Chairman of Bihar State University Service Commission.

2.7 "Member" means Member of Bihar State University Service Commission.

Ben

050(5)

X.em

9)

Reverne



- 2.8 "Department" means "Department of Education, Bihar"
- 2.9 "Appointing officer" means Vice-Chancellor of respective University.

Chapter-3

3.0 Appointment of Teachers (Assistant Professors)

3.1 Objective

- 3.1.1 Candidate should have sufficient knowledge of subject teaching and research capability.
- 3.1.2 He should motivate students to develop scientific temper and inculcate logical understanding of the subject;
- 3.1.3 He should be well-versed with modern tools and technology of teaching and can make use of it in their classes/teaching.

3.2 **Procedure of appointment**

- 3.2.0 The appointment shall be made through All India Advertisement.
- 3.2.1 The appointment of Assistant Professors shall be made on the recommendation of the Bihar State University Service Commission on the basis of guideline laid down by the University Grants Commission and accepted / modified by the Government of Bihar.
- 3.2.2 The appointing officer on the basis of subject wise vacant posts of teachers along with reservation roster shall send requisition to the Commission through the Education Department. The Department will consolidate the requisition from the Universities and send the same to the Commission.
- 3.2.3 However, the Department shall recommend the subjects for which the Commission will select the candidates on priority

/P)

Y3/1

050(5)



3.3 <u>Essential qualifications</u>

3.3.1 A master degree with 55% marks or an equivalent grade in a point scale, wherever the grading system is followed, in Concerned / Relevant / Allied subjects. Relaxation of 5% marks for SC/ST/BC-I (Non-creamy layer)/BC-II (Non-creamy layer) Candidate of the State, while physically challenged persons from any part of the country will be given relaxation of 5% marks at Master's Degree. But both benefits shall not be admissible to the same candidate.

A relaxation of 5% shall be provided, (from 55% to 50% of the marks) to the Ph.D. Degree holders who have obtained their Master's Degree prior to 19 September 1991.

3.3.2 Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC or the CSIR, or a similar test accredited by the UGC, like SLET/SET or who are or have been awarded a Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be exempted from NET/SLET/SET:

Provided that regarding recognition of SLET/SET the provisions of UGC Regulation 2018 shall be applicable.

Provided further that the candidates registered for the Ph.D. programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/Bye-laws/Regulations of the Institution awarding the degree and such Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of NET / SLET / SET for recruitment and appointment of

050(5)

R

A)

Ruserme

354)

Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges/Institutions subject to the fulfillment of the following conditions:-

- a) The Ph.D. degree of the candidate has been awarded in a regular mode;
- b) The Ph.D. thesis has been evaluated by at least two external examiners;
- c) An open Ph.D. viva voce of the candidate has been conducted;
- d) The Candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work, out of which at least one is in a refereed journal (UGC 'Care'/ SCOPUS).
- e) The candidate has presented at least two papers based on his/her Ph.D. work in conferences/seminars sponsored/funded/supported by the UGC / ICSSR / CSIR or any similar agency.

The fulfillment of these conditions is to be certified by the registrar or the Dean (Academic Affairs/Faculty) of the University concerned.

Note: NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC, like SLET/SET. OR

The Ph.D. degree has been obtained from a foreign university/institution with a ranking among top 500 in the World University Ranking (at any one of the following: (i) Quacquarelli Symonds (QS) (ii) the Times Higher Education (THE) or (iii) the Academic Ranking of World Universities (ARWU) of the Shanghai Jiao Tong University (Shanghai) or (iv) US News World Ranking.

3.3.3 In the context of disciplines like Music, Performing Arts, Visual Arts and other Traditional Art forms like sculpture etc and Drama/Natya the eligibility of a traditional or professional artist will be judged according to the criteria for specific disciplines laid down in 'UGC Regulation on Minimum Qualifications for Appointment of Teacher and other Academee

Shenglish) 2020 Vinod Kumar Tiwari Officer on Special Duty (Judicial) N N



Staff in Universities and colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education, 2018.'

3.4 Age limit

The maximum age for appointment to a post of Assistant Professor shall not be more than 55 years, as on January 1st of the year of advertisement.

3.5 Pay Scale

The Pay scale of Assistant Professors of the University shall be the same as recommended by the University Grants Commission from time to time and accepted by Government of Bihar.

3.6 <u>Interview Board</u>

- 3.6.1 The Interview Board constituted shall have at least three subject experts nominated by the Chairman of the Commission. The Chairman of the Interview Board will be the Chairman or Member of Commission nominated by the chairman of the Commission.
- 3.6.2 The Procedure for interview shall be decided by the Commission.
- 3.7 <u>Scrutiny and Short listing of Candidate</u>: Short listing of Candidate shall be based on the points scored by them in academic qualification and academic achievements as enumerated in **Table I**
- 3.8 Eligibility of candidates with degree in Concerned / Relevant / Allied Subjects: The eligibility of candidates with degree in concerned / relevant / allied subjects for any specific subjects will be decided by the commission on the recommendation of a committee consisting of two or three subject

experts. The equivalence of similar subjects with different names in different universities will be decided by committee consisting of two or three subject experts.

Officer on Special Duty (Judicial)



3.9 <u>Number of candidates called for interview</u>:- The number of candidates to be called for interview shall be decided by the commission.

Chapter-4

4.0. <u>Reservation</u>

4.1 The current Reservation Policy of the State Govt. as applicable on the date of advertisement will strictly be followed category- wise and subject-wise as per the roster prepared by the university administration/state govt. If a candidate under reserved category qualifies in the general merit list he/she will be selected under general category.

Chapter-5

5.0 <u>Selection Process</u>

- The selection process shall be transparent and the Commission shall consider both academic qualifications and performance in the interview both for selecting the candidate for the post of Assistant Professors.
- 5.2 Educational qualification shall carry 100 marks and interview 15 marks.

 The distribution of marks for academic achievements is given in **Table I**
- 5.3 Conversion of Grade points to Percentage Equivalent will be carried out as per the Conversion Formula laid down by the University concerned.
- 5.4 The merit list will be prepared on the basis of addition of scores of academic qualification (Full marks 100) and interview (Full marks 15) i.e. total marks 115.
- 5.5 The Commission will prepare a composite merit list of the subjects on the basis of vacancies and reservation roster. Out of this composite merit list a

Officer on Special Duty (Judicial)

Richema



University wise panel, with due consideration of preference of universities given by the candidates, will be prepared for onward transmission to the department/university.

- In the event of total marks obtained from educational qualification and interview being the same candidate having higher marks in educational qualifications will be placed higher in the final merit list. In the event of candidates having same educational qualification marks, candidate who are elder in age according to the date of birth will be placed higher in the final merit list and in the event of candidates having same date of birth, candidates whose name appears alphabetically first in Devnagiri Script will be placed higher in the final merit list.
- 5.7 The procedure for interview shall be decided by the Commission. The merit list prepared by the Commission shall be valid for one year from the date of issuance.

6.0 Appointment

- 6.1 The Vice-Chancellor shall, subject to the provisions of the Act, have power to make appointment of the teachers, as per recommendations of the Commission, within the grade and scale of pay and within the sanctioned strength.
- 6.2 The recommendations of the Commission shall be placed before the syndicate of the concerned University for orders, ordinarily at its next meeting.
- Notwithstanding anything to the contrary as contained in the Statutes, if any college/university teacher was appointed in another University on a teacher's post, he shall be allowed continuity of his/her service for the



purpose of his pay and allowances and grant of retirement benefits as admissible but not for determination of seniority.

7.0 <u>Joining Date</u>

- 7.1 The appointment letter should clearly mention the time period within which the candidate shall join the post.
- 7.2 On the request of the candidate the joining date may be extended up to a maximum of six months.
- 7.3 If selected candidate fails to join his post on or before the due date his appointment shall stand cancelled.

8.0 <u>Service Matters</u>

- Any matter referred by the University to the Commission will be routed through the Department. The Department will review such referred matter and forward the same with its considered opinion.
- 8.2 The provisions of this Statute shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other Statutes for the time being in force or any instrument having the effect of the Statutes.

R

\y

<u>Table: I</u>

Distribution of points for Short listing / Selection of Candidates for the Post of

Assistant Professors in Universities

S.	Acadimic Record	Score				
1.	Graduation	80% & Above = 15	60% to less than 80% = 13	55% to less than 60% = 10	45% to less than 55% = 05	
2.	Post-Graduation	80% & Above = 25	60% to less than 80% = 23	55% (50% SC/ST/B (non-creamy laye than 60	er)/PWD) to less	
3.	M.Phil.	60% & Above = 07	55% to less than	60% = 05		
4.	Ph.D.	30				
5.	NET with JRF	07				
	NET	05				
	SLET/SET	03				
6.	Research Publications (2 marks for each research publications published in peer- Reviewed or UGC-CARE, listed/ SCOPUS Journals)	10				
7.	Teaching / Post Doctoral Experience (2 marks for one year each)#	10				
8.	Awards	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	e			
	International / National Level	03	\	,		

Assistant Professor State

sor Statutes (English) 2020
Vinod Kumar Tiwari
Officer on Special Duty (Judicial)

Rules

/	_
1	. ~)
۸۱	J 74 /
ъ.	-1 <i>U</i> /
×	. /

(Awards given by Inter	national		
Organisations / Govern	ment of		
India / Government of	of India		
recognized National	Level		
Bodies)			
State-Level (Awards g	iven by 02	,	
State Government)			

However, if the period of teaching / Post-doctoral experience is less than one year then the marks shall be reduced proportionately. Credit will be given only on the basis of certificate countersigned by the Registrar of the University.

Note:-

	Universities/Colleges/Institution	tutions only.		\ /		TA	Kiler	m
(C)	SET/SLET Score shall		for	appointment	in	respective	state	
	Total		-	100				
	Teaching Experience		-	10				
	Research Publications			10				
	Academic Score		-	80			v	
(B)								
	(iii) In awards category	Maximum	_	03 Marks				
	(ii) JRF/NET/SET	Maximum	_	07 Marks				
(A)	(i) M. Phil + Ph. D	Maximum	_	30 Marks				

Uinod Kumar Tiwari
Officer on Special Duty (Judicial)

Assistant Professor Statutes (English) 2020 .

बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु परिनियम—2020

अध्याय-1

प्रारंभिक

- (1) संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारम्भ :--
 - 1.0 यह परिनियम—'बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियक्ति के लिए परिनियम—2020'कहलाएगा।
 - 1.1 यह बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के अंतर्गत संचालित/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों पर लागू होगा।
 - 1.2 यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत होगा।

अध्याय -2

परिभाषाएँ - जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध नहीं हो, इस परिनियम में -

- 2.1 **''परिनियम''** से अभिप्रेत हैं, 'बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए परिनियम—2020'।
- 2.2 राज्य सरकार' से अभिप्रेत है, बिहार सरकार।
- 2.3 विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 तथा पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत यथा परिभाषित।

Vinod Kumar Tiwari
Officer on Special Duty (Judicial)
Assitant Professor statute (Hindi) 2020



- 2.4 "शिक्षक" से अभिप्रेत है, सहायक प्राध्यापक।
- 2.5 "आयोग" से अभिप्रेत है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग।
- 2.6 **''अध्यक्ष''** से अभिप्रेत है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का अध्यक्ष।
- 2.7 **"सदस्य"** से अभिप्रेत है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के सदस्य।
- 2.8 "विभाग" से अभिप्रेत है, शिक्षा विभाग, बिहार।
- 2.9 **"नियुक्ति पदाधिकारी"** से अभिप्रेत है संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति।

अध्याय -3

- 3.0 शिक्षकों (सहायक प्राध्यापक) की नियुक्ति।
- 3.1 उद्देश्य।
- 3.1.1 अभ्यर्थी को विषय अध्यापन एवं शोध क्षमता का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।
- 3.1.2 अभ्यर्थी को छात्रों में वैज्ञानिक सोच तथा तार्किक समझ विकसित करने हेतु अभिप्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए।
- 3.1.3 अभ्यर्थी को शिक्षण के आधुनिक अधिगम सामग्रियों से अवगत होना चाहिए ताकि उन्हें अपनी कक्षा एवं अपने अध्यापन में प्रयोग कर सके।

नियुक्ति की प्रक्रिया -

3.2.0 नियुक्ति अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापन के तहत की जाएगी।





Rem V

- 3.2.1 सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा निर्धारित तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत/संशोधित दिशा—निर्देशों के तहत बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर की जाएगी।
- 3.2.2 नियुक्ति पदाधिकारी विषयवार शिक्षकों के रिक्त पदों के आरक्षण रोस्टर के अनुसार तैयार समेकित विषयवार अधियाचना शिक्षा विभाग के माध्यम से आयोग को भेजेगा। विभाग विश्वविद्यालयों से प्राप्त अधियाचना को समेकित करते हुए आयोग को भेजेगा।
- 3.2.3 यद्यपि आयोग द्वारा किन विषयों में प्राथमिकता के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, इस संदर्भ में विभाग अनुशंसा करेगा ।
- 3.3 अनिवार्य योग्यता --
- 3.3.1 संबंधित / संगत / संबद्ध विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ रनातकोत्तर की उपाधि अथवा जहाँ कही भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहाँ प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड

राज्य के अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) / पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) के अभ्यर्थियों तथा देश के किसी क्षेत्र के शारीरिक रूप से विकलांग को स्नातकोत्तर स्तर पर अंकों में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। परंतु किसी अभ्यर्थी को दोनों लाभ एक साथ अनुमान्य नहीं होगा।

उन पी-एच०डी० उपाधि धारक अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी, जिन्होंने 19 सितम्बर 1991 के पूर्व स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है।

(HIndi) 202 Vinod Kumar Tiwari Officer on Special Duty (Judicial)



3.3.2 उपरोक्त अर्हताओं के अलावा, अभ्यर्थी को यू०जी०सी० अथवा सी०एस०आई०आर० द्वारा आयोजित NET की परीक्षा अथवा यू०जी०सी० द्वारा प्रत्यायित समतुल्य परीक्षा यथा SLET/SET उत्तीर्ण होना चाहिए। अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम०फिल० / पी—एव०डी० उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम २००९ अथवा २०१६ और समय—समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों जैसा भी मामला हो, के तहत पी—एच०डी० की उपाधि प्रदान की गई है, उन्हें NET/SLET/SET से छूट प्रदान की जाएगी।

परन्तु SLET/SET के मान्यता के संदर्भ में यू०जी०सी० रेगुलेशन, 2018 में वर्णित प्रावधान ही मान्य होंगे।

बशर्ते कि दिनांक 11.07.2009 से पूर्व एम0फिल०/पी-एच0डी० कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों/उपनियमों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे। ऐसे सभी पी-एच0डी० धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शत्तों को पूरा करने के अध्यधीन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए एन० ई० टी०/एस० एल० ई० टी०/एस० ई० टी० की अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी:--

- (क) अभ्यर्थी को पी-एच0डी० की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो;
- (ख) पी-एच0डी0 शोध-प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो;
- (ग) पी—एच0डी0 के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो; ✓

Officer on Special Duty (Judicial)

- (घ) अभ्यर्थी ने अपने पी—एच०डी० कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें कम से कम एक संदर्भित जर्नल (यू० जी० सी० 'केयर' / SCOPUS) में प्रकाशित हुआ हो;
- (ङ) अभ्यर्थी ने वि० अ० आ०/आई० सी० एस० एस० आर०/ सी० एस० आई० आर० अथवा ऐसी किसी अन्य एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित/सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में अपने पी-एच०डी० कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो;

इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा सत्यापित किया जाए।

- नोट :- ऐसे विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि धारक अभ्यर्थियों से NET/SLET/SET अर्हता की अपेक्षा नहीं की जाएगी, जिन विषयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी0 एस० आई० आर० NET/SLET/SET अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित इस प्रकार की परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है। अथवा
 - (i) क्वैक्वैरेली सायमंड (क्यूएस) (ii) दि टाइम्स हॉयर एजूकेशन (टीएचई) अथवा (iii) शंघाई जियाओं टोंग यूनिवर्सिटी (शंघाई—एआरडब्ल्यू) अथवा (iv) यू० एस० वर्ल्ड० विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक रैकिंग द्वारा संपूर्ण विश्व में विश्वविद्यालय रैकिंग में विश्व के शीर्षतम 500 रैंक वाले विदेशी विश्वविद्यालय / संस्थान (किसी भी समय) से पी—एच०डी० की उपाधि प्राप्त की गई हो।



3.3.3

संगीत, परफार्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और अन्य परम्परागत कला स्वरूपों यथा शिल्प कला आदि एवं ड्रामा/नाट्य के संदर्भ में परम्परागत अथवा पेशवर कलाकारों के अर्हता की जाँच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण संबंधी विनियम 2018 में विशिष्ट रूप में उस क्षेत्र के लिए वर्णित पैमाने के आलोक में की जाएगी।

3.4 आयु

सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित होने वाले वर्ष की पहली जनवरी को अधिकतम आयु 55 वर्ष होगी।

3.5 वेतनमान

विश्वविद्यालय में सहायक प्रध्यापक के पद का वेतनमान वहीं होगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय—समय पर अनुशंसित एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

3.6. साक्षात्कार बोर्ड

3.6.1 साक्षात्कार बोर्ड न्यूनतम 03 विषय विशेषज्ञों को मिलाकर गठित किया जाएगा, जो आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएँगे। साक्षात्कार बोर्ड के अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य होंगे, जिन्हें आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा।

3.6.2 साक्षात्कार के लिए प्रक्रिया से संबंधित निर्णय आयोग के द्वारा लिया जाएगा। 🔑 V Rusen

3.7 अभ्यर्थियों की छानबीन एवं संक्षिप्त सूची — अभ्यर्थियों की संक्षिप्त सूची उनकी अकादिमक योग्यता एवं अकादिमक उपलिख्य के आलोक में तालिका —1 के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

3.8 संबंधित/संगत/संबद्ध विषयों में उपाधि प्राप्त उम्मीदवारों की अर्हता — किसी विशिष्ट विषय के लिए संबंधित/संगत/संबद्ध विषयों में उपाधि प्राप्त उम्मीदवारों की अर्हता पर दो या तीन विषय विशेषज्ञों को मिलाकर गठित समिति की अनुशंसा पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। भिन्न—भिन्न विश्वविद्यालयों में भिन्न—भिन्न नामों वाले समान विषयों की समतुल्यता का निर्णय दो या तीन विषय विशेषज्ञों से मिलकर गठित समिति द्वारा लिया जाएगा।

3.9 साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या— साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

अध्याय-4

4.0 आरक्षण

4.1 विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा कोटिवार एवं विषयवार तैयार किए गए रोस्टर में विज्ञापन तिथि को राज्य सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा। अगर आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के मेधा सूची के लिए अर्हित है तो उसकी

नियुक्ति सामान्य कोटि में होगा।

)

al)

अध्याय-5

5.0	चयन प्रक्रिया
5.1	चयन प्रक्रिया पारदर्शी होगी तथा सहायक प्राध्यापक के पद पर चयन के लिए आयोग द्वारा उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता तथा साक्षात्कार, दोनों में प्रदर्शन पर विचार किया जाएगा।
5.2	शैक्षणिक योग्यता के लिए 100 अंक तथा साक्षात्कार के लिए 15 अंक होंगे। शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए अंकों का वितरण तालिका 01 में दर्शाया गया है।
5.3	ग्रेड बिंदुओं का प्रतिशत में संपरिवर्तन संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विनिश्चित संपरिवर्तन सूत्र के अनुसार होगा।
5.4	मेधा—सूची शैक्षणिक योग्यता (कुल अंक 100) एवं साक्षात्कार (कुल अंक 15) अर्थात कुल 115 अंक में से प्राप्त किए गए अंकों के योग के आधार पर तैयार की जाएगी।
5.5	आयोग द्वारा रिक्ति एवं आरक्षण रोस्टर के अनुसार विषयवार एक सम्मिलित मेधा सूची तैयार की जाएगी। इस सम्मिलित मेधा सूची में से उम्मीदवारों द्वारा विश्वविद्यालयों के लिए दिए गए अधिमानता को ध्यान में रखकर विभाग अथवा विश्वविद्यालय को भेजा जाने वाला विश्वविद्यालयवार पैनल तैयार किया जाएगा।
5.6	शैक्षणिक अर्हता एवं साक्षात्कार दोनों को मिलाकर कुल प्राप्तांक सामान्य होने की स्थिति में वैसे उम्मीदवार, जिनकी शैक्षणिक योग्यता ज्यादा होगी, उन्हे अंतिम मेघा सूची में ऊपर रखा जाएगा।

Officer on Special Duty (Judicial)

शैक्षणिक योग्यता भी एक समान होने की स्थिति में जन्म तिथि के अनुसार ज्येष्ट उम्मीदार अंतिम मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। जन्म तिथि भी एक समान होने की स्थिति में देवनागरी लिपि के अनुसार जिस उम्मीदवार का नाम वर्णानुक्रम में पहले आएगा, उसे अंतिम मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा।

साक्षात्कार की प्रक्रिया का निर्णय आयोग द्वारा लिया जाएगा। 5.7 आयोग द्वारा तैयार की गयी मेधा सूची निर्गम की तिथि से 01 वर्ष के लिए मान्य होगी।

नियुक्ति 6

- अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कुलपति को स्वीकृत पद के 6.1 अन्तर्गत निर्धारित वेतनमान एवं ग्रेड पे में आयोग की अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की शक्ति होगी।
- आयोग की अनुशंसा को संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा सिंडिकेट की 6.2 अनुमति के लिए सामान्यतः सिंडिकेट की अगली बैठक में रखा जाएगा।
- जब तक कोई बात परिनियम में सन्निहित तथ्यों के प्रतिकूल नहीं 6.3 हो, यदि कोई विश्वविद्यालय / महाविद्यालय शिक्षक जो किसी दूसरे विश्वविद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्त था, उसी सेवा की निरंतरता वेतन एवं भत्ते तथा सेवा निवृति लाभ की अनुमान्यता के लिए अनुमान्य होगी। परंतु वह वरीयता के निर्धारण हेतु अनुमान्य

नहीं होगी।

पदग्रहण की तिथि

7



7.1	नियुक्ति पत्र में अभ्यर्थी के पदग्रहण करने की अवधि स्पष्ट रूप में
	वर्णित होगा।

- 7.2 अभ्यर्थी के अनुरोध पर योगदान करने की तिथि को अधिकतम छः माह के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।
- 7.3 यदि चयनित अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व पदग्रहण करने में असफल रहता है तो उसका नियुक्ति पत्र रद्द समझा जाएगा।

8 सेवा मामले

- 8.1 विश्वविद्यालय द्वारा आयोग को संदर्भित किया जाने वाला कोई मामला विभाग के माध्यम से संदर्भित किया जाएगा। विभाग ऐसे संदर्भित मामलों में समीक्षोपरांत अपना सुविचारित मंतव्य अग्रसारित करेगा।
- 8.2 तत्समय प्रवृत किसी अन्य परिनियम या परिनियम के प्रभाव वाले किसी दस्तावेज में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, इस परिनियम के प्रावधानों का अध्यारोही प्रभाव होगा।

1

4

050(5)

तालिका 1

विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के संक्षिप्तीकरण / चयन हेतु अंकों का वितरण

क्र0 शैक्षणिक रिकार्ड							
-		स्कोर					
	स्नातक	80% एवं उससे	60% एवं	55% एवं	450/		
		ऊपर = 15	उससे ज्यादा	1	ĺ		
1			तथा 80% से	उससे	ज्यादा		
				ज्यादा	और		
			कम = 13	और	55% ₹		
				60% से	कम =		
	स्नातकोत्तर			कम= 10	05		
	V IICIANICIC	80% एवं उससे	60% एवं	55% एव	ां उससे		
		ऊपर = 25	उससे ज्यादा	ज्यादा (३			
2			तथा 80% से	1	'उप्रायत नाति /		
_			कम = 23	बी0सी01/	जी ा री बीठमी०२		
}				एवं दिव्य	याणसाण्य विकास		
				रिथति में 50	11 47 00/\=ro=		
			¥	60% के क	J70) ((થા T — ૦૦		
3	एम0फिल0	60% एवं उससे					
		ऊपर = 07	55% एवं उससे	ऊपर तथा	60% से		
4	पी-एच0डी0		कम = 05				
		30					
5	जे0आर0एफ0 के साथ नेट	07					
,	नेट	05					
7	स्लेट / सेट						
		03					
9	गोध प्रकाशन (यू०जी०सी०—	10					
व	व्यर) द्वारा सूचीबद्ध						
/	SCOPUS/ peer						
re	eviewed जर्नल में प्रकाशित						
प्रत	त्येक शोध प्रकाशन के लिए 02						
अं	क)						
शि	क्षिण/पोस्ट डॉक्टोरल का	10					
		10					

Vind Kumar Tiwari
Officer on Special Duty (Audicial)

31

RKURM

	अनुभव (प्रत्येक एक वर्ष के लिए 02 अंक)	
8	पुरस्कार	
	अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर (अन्तर्राष्ट्रीय संगठन / भारत सरकार / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं द्वारा पुरस्कार दिए जाने की स्थिति में अधिकतम)	
	राज्य स्तर (राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार दिए जाने की स्थिति में)	02

शिक्षण अथवा पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव की अवधि एक वर्ष के कम होने की स्थिति में अंक समानुपातिक रूप से घटाए जाऐंगे। इनका लाभ संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र के आधार पर मिलेगा।

नोट :-

(क)	(i) एम0फिल0 + पी-एच0डी0	:	अधिकतम 30 अंक
	(ii) जे०आर0एफ0 / नेट / सेट	:	अधिकतम ०७ अंक
	(iii) पुरस्कार कोटि में	;	अधिकतम 03 अंक
(ख)			
	अकादमिक स्कोर	:	80
e e	शोध प्रकाशन	:	10
	शिक्षण अनुभव	;	10
ŧ	कुल	<u>:-</u>	100
(ग)	सेट (स्तेर का उसे का	,	

(ग) सेट/स्लेट का स्कोर सम्बंधित राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में नियुक्ति हेतु मान्य होंगे।

050(5)

R

Y

Relem